पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 195/2018

अनवान :

1. महेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. जगदीश पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. भूपसिंह पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र मोमनराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सुमित्रा पुत्री मोमनराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

– प्रतिवादीगण

आंज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतू प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव मलसीसर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 121/123, खसरा नं0 345/2 की 3.794 है0 खसरा सं0 544/761 की 0.379 है0 खसरा सं0 569 की 2.403 है0 कुल क्षेत्रफल 6.576 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.10.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 195/2018

अनवान :

1. महेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. जगदीश पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. भूपसिंह पुत्र नोरंगराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. नोरंगराम पुत्र मोमनराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सुमित्रा पुत्री मोमनराम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां **: वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30/0/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव मलसीसर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 121/123, खसरा नं0 345/2 की 3.794 है0 खसरा सं0 544/761 की 0.379 है0 खसरा सं0 569 की 2.403 है0 कुल क्षेत्रफल 6.576 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र है। वादीगण के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के एक पुत्री प्रतिवादी सं0 2 है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा मोमन के नाम दर्ज थी। वादी के दादा मोमन के फौत होने पर वाद भूमि विरासतन परिवार का कर्ता होने के कारण वादीगण के पिता नोरंग प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि इससे पहले वादीगण के परदादा चुहड़ के नाम थी। प्रतिवादी सं0 2 सुमित्रा, वादीगण की सगी बहन है तथा प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 2 का भी हक व हिस्सा जन्म से निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 अब विवाहित है तथा राजी-खुशी अपने ससूराल में आबाद है। प्रतिवादी संख्या 2 के विवाह की सारी जिम्मेदारी, भात छुछक आदि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ने ही किया था जिससे राजी होरक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादी सं0 2 ने अपना जो भी हक व हिस्सा वाद भूमि में बनता था वह वादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया है। अब वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं बचा है। वैसे भी हमारे समाज एवं परिवार में लडकियां अपने पिता की सम्पति में हिस्सा नहीं लेती है। उसी परम्परा के अनुसार प्रतिवादी सं0 2 ने भी अपना कोई हक व हिस्सा बनता था तो वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए अब उसका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है तथा वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 चारों वाद भूमि के बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने इकबालदावे पेश किये।

साक्ष्य वादीगण में वादी भूपसिंह पुत्र नोरंगराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 121/123 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श पी1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम मलसीसर सम्वत् 2020 प्रदर्श पी2, पी3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर प्रदर्श पी4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा मोमन के नाम दर्ज थी। वादी के दादा मोमन के फौत होने पर वाद भूमि विरासतन परिवार का कर्ता होने के कारण वादीगण के पिता नोरंग प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि इससे पहले वादीगण के परदादा चुहड़ के नाम थी। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 2 का भी हक व हिस्सा जन्म से निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो जमाबन्दी खतौनी प्रदर्श पी4 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा मोमन वल्द चुहड़ के नाम दर्ज है एवं प्रदर्श 2 व 3 में पूरानी खाम भूमि खसरा सं0 349, 351, 352 तब्दील होकर खसरा सं0 345 में एवं खसरा सं0 106 तब्दील होकर खसरा सं0 544/712 में वादीगण के पिता नोरंग वल्द मोमन के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी5 में नोरंगराम के वारिसान में तीन पुत्र महेन्द्र कुमार, जगदीश, भूपसिंह एवं एक पुत्री सुमित्रा होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव मलसीसर की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 121/123 खसरा नं0 345/2 की 3.794 है0 खसरा सं0 544/761 की 0.379

कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

है0 खसरा सं0 569 की 2.403 है0 कुल क्षेत्रफल 6.576 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 चारों बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़